certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1964-65.

Mr. Deputy Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1964-65."

The motion was adopted.

Shri T. T. Krishnamachari: Sir I introduce* the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Shri T. T. Krishnamachari.

Shri T. T. Krishnamachari: I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1964-65 be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1964-65 be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: There are no amendments. The question is:

"That clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Title and the Enacting formula stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2 and 3, the Schedule, the Title and the Enacting formula were added to the Bill.

Shri T. T. Krishnamachari: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.38½ hrs.

SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) AMENDMENT BILL—*Continued.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Mehr Chand Khanna on the 6th May, 1964, namely:—

"That the Bill to amend the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

Shri D. S. Patil was on his legs. The time left is 2 hours.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्यारे नेता, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, के देहावसान से उत्पन्न राष्ट्रीय संकट की छाया में, लोक सभा में गहरी वेदना और शोक प्रकट करते हुए, इस बिल पर बहस बन्द हुई थी । अपने कर्तव्य के अनुसार मैं फिर से इस बिल पर अपने कुछ विचार रखता हूं ।

*Introduced with the recommendation of the President.

[श्री दे० शि० पाटिल]

गन्दी बस्तियों में रहने वाली बेघर, दुखी जनता को देख कर हमारे नेता बहुत ही दुखी होते थे। गरीब जनता का कल्याण और भला चाहते थे इस बिल का जो उद्देश्य है, वह बहुत अच्छा है। मेरी राय है कि इस बिल को दिल्ली में ही नहीं वरन् सारे देश में लागू किया जाना चाहिये। सभी राज्य सरकारों को ऐसा ही बिल लाकर पुराने ऐक्ट में संशोधन करना चाहिये और गन्दी बस्तियों के सुधार और सफाई किये जाने की सूचना केन्द्रीय सरकार को देनी चाहिये।

दिल्ली नगर की जनसंख्या हर साल बढ़ रही है। दिल्ली की ही नहीं सभी नगरों की जन संख्या बढ़ रही है। दिल्ली की जन संख्या जहां १९४१ में ६.१७ लाख थी वहां वह १९५१ में १७.४४ लाख हो गई और १९६१ में २६.५७ लाख हो गई। इस रेपिड इंक्रीज इन पापुलेशन से दिल्ली में गन्दी बस्तियों की समस्या चिन्ताजनक रूप धारण कर चुकी है।

देश में ५० लाख लोग बेघर हैं। यह केवल शहरों की संख्या मैं बता रहा हूं। आवास और संस्थानों का जहां तक सम्बन्ध है, १९६१ की जनगणना के अनुसार ५० लाख लोगों के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं था। इन गृहहीन व्यक्तियों में देहातों में रहने वाले गृहहीन लोगों का समावेश नहीं है। ये पचास लाख व्यक्ति शहरों में ही रहते थे। अकेले बृहत्तर बम्बई में उनकी संख्या ७६,००० है। राज्यों में सर्वाधिक गृहहीन व्यक्ति मैसूर में १०.६ प्रतिशत। इसके बाद मद्रास का नम्बर आता है। वहां पर ३.८ प्रतिशत गृहहीन व्यक्ति थे। महाराष्ट्र में २.३ प्रतिशत थे। शहरों में जैसी गन्दी बस्तियां हैं वैसी गांवों में भी हैं। गन्दी बस्तियां केवल बढ़े बढ़े शहरों में ही हैं ऐसी बात नहीं है, गांवों में तथा कसबों में भी वे पाई जाती हैं। १९५८ में प्रतिशत लोग गांवों में बेघर हैं, उनके पास रहने के लिये मकान भी नहीं है। गांवों में रहने वाले नागरिक से जब पूछा जाता है कि तू कहां का रहने वाला है, तेरा घर कहां है तो वह यही कहता है कि मैं फलां गांव का रहने वाला हूं, मेरा घर नहीं है, मैं फलां फलां जगह पर रहने वाला बेघर नागरिक रहता हूं। ऐसी उनकी परिस्थिति है। देहातों में जो लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं वे वही रहते हैं जो सामाजिक तौर पर तथा आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए होते हैं, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग कहा जाता है।

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order, Sir. I am sure, you will agree that my hon. friend, Shri Mehr Chand Khanna, will feel a little more happy if there is quorum in the House for his Bill.

Mr. Depjuty-Speaker: The bell is being rung. Now there is quorum. Shri Patil may continue his speech.

श्री दे० शि० पाटिल : ऐसे जो लोग रहते हैं उनकी भी एक बस्ती रहती है जहां कोई सुविधा नहीं होती है। मैं नहीं जानता कि इसको हिन्दी में क्या कहते हैं लेकिन देहातों में जो महारवाडा रहता है वह देखा जाए तो गन्दी बस्ती सरीखा ही रहता है।

गन्दी बस्तियों की समस्या को अगर हल करना है तो कई इसके पहलू हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। आपको देखना होगा कि शहरों में गन्दी बस्तियों की संख्या क्यों बढ़ती है, क्यों लोग गन्दी बस्तियों में जाकर रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। मेरे खयाल से इसके तीन चार कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि शहरों में व्यापार और उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। दूसरा यह कि प्रशासन के कार्यालय शहरों में केन्द्रित हो रहे हैं, तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि रोजगार अथवा

ओर जाने वालों का एक तांता लगा हुआ है और चौथा कारण यह है कि देहातों में आज भी उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे शुद्ध पीने के पानी की, मकान की, स्वास्थ्य सेवाओं की, वे उपलब्ध नहीं हैं। देहातों में बेघर रहने वाले बजाय वे शहरों में जाकर गन्दी बस्तियों में रहना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसलिए शहरों में गन्दी बस्तियों की संख्या बढ़ती जाती है और एक बड़ा सवाल पैदा होकर हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। फोर्थ आफ रूरल इंडिया बिना पानी के है। देहातों की अगर पापुलेशन को देखा जाए तो उसका चतुर्थांश ऐसा है जिसको शुद्ध पानी नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहता हूं।

UP State includes 48,700 villages that have no wells and no other reliable source giving potable water.

ऐसे और भी कई उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन चूंकि समय नहीं है मैं दे नहीं रहा हूं। हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्यों लोग इस तरह के गांवों में रहें। वे देहातों में जाना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। महात्मा गांधी कहते थे "गो टू विल्लेजिज़" लेकिन परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि लोग गांवों में जाने के बजाय टाउंज़ की तरफ जा रहे हैं।

गन्दी बस्तियों को रोकने का सवाल एक कठिन सवाल है।

दी साइज़ आफ दी प्राब्ललैम इज़ नाट नोन।

देहातों के लोग जो शहरों में जा रहे हैं वे कहां तक और कब तक जाते रहेंगे यह कोई नहीं कह सकता है। अगर गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करना है तो दूसरी जो समस्यायें हैं, उनको आपको पहले हल करना होगा। जब तक आपने इसको नहीं किया तब तक गांवों से शहर जाने वालों का जो कार्यक्रम है, यह चलता ही रहेगा। वास्तव में गन्दी बस्तियों की समस्या जो है वह देहातों में फैली हुई बेरोज़गारी की समस्या का ही एक विकृत रूप है। देहातों के लोग शहरों में अच्छी मजदूरी की तलाश में उसके लालच में आ जाते हैं और गन्दी बस्तियों में रह कर पैसा कमाना ज्यादा पसन्द करते हैं। गांवों में खेती की स्थिति में सुधार लाकर ही आप इस धारा को रोकना चाहें तो नहीं रोक सकते हैं। मेरी ऐसी धारणा है कि नए नए क्षेत्रों का विकास होना चाहिये और वहां पर नए नए उद्योग खोले जाने चाहियें। गन्दी बस्तियों को रोकने का एक उपाय यह भी है कि जो लोग मजदूरी के लिये जाते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिये। गन्दी बस्तियों की समस्या को केवल इस तरह से ही हल किया जा सकता है कि आगे से मजदूरों के आगमन को रोका जाए। यही बात मैं वर्तमान में जो गन्दी बस्तियां हैं, उनके सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। इनकी समस्या को आप हल करें और आगे के लिये दूसरे उपाय करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि एक गन्दी बस्ती को तो आप हटायेंगे और दूसरी बन जाएगी। यही आजकल हो रहा है।

एक सोशल इकानोमिक सर्वे भारत सेवक समाज ने दिल्ली में किया था जिससे पता चला था कि ४७,५०० परिवार दिल्ली में ऐसी गन्दी बस्तियों में रहते हैं जिनकी बड़ी कठिन समस्या है। गन्दी बस्ती सफाई और सुधार का जो कार्यक्रम है वह एक अच्छा कार्यक्रम है और इस दिशा में काफी प्रोग्रेस भी हुई है। लेकिन पैसा कम होने के कारण से प्रोग्रेस बहुत कम हो सकी है। आज का जो ऐक्ट है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। डिवेलेपमेंट करने के लिये किसी को अगर कहा जाता है तो आज के एक्ट के तहत तो उसको बारह महीने का समय दिया जाता है और अगर वह बारह महीने के अन्दर यह काम नहीं करता है तो उसके बाद गवर्नमेंट इसको अपने आप करवा सकती है। टेनेन्ट्स

[श्री दे० शि० पाटिल]

के बारे में अब तक ऐसा था कि सिविल सूट लाना पड़ता था और परमिशन लेनी पड़ती थी। कई ऐसे सवाल थे जिसमें डेवेलपमेंट करने के रास्ते में अड़चनें आती थीं, कई त्रुटियां थीं। इसलिये यह बिल लाया गया जिसमें कि वह त्रुटियां खत्म हों और गवर्नमेंट को ऐसे अधिकार मिलें जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा डेवेलपमेंट वह कर सके।

वैसे जो ग्रांट्स का काम है वह भी बहुत अच्छा काम है। लोकल बाडीज को इस गवर्नमेंट ने ७५ प्रतिशत तक लोन देने का निश्चय किया है और २५ प्रतिशत सबसिडी कास्ट में जमा कर लेते हैं। इसी तरह से मेरा सुझाव यह है कि जैसे शहर के बारे में यह प्रबन्ध किया जा रहा है वैसे ही देहातों की गन्दी बस्तियों के बारे में यह प्रबन्ध किया जाये। गांवों में गरीब लोगों के लिये आवास की समस्या बहुत कठिन है। उनको हर साल अपने छप्पर छाने के लिये घास भी नहीं मिलती है। वे उसी तरह से बेघर पड़े रहते हैं। पानी बरसता है, धूप आती है तब भी उसी तरह से रहते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मौका आयेगा जब वह मकान बना सकें क्योंकि उनकी जो डेली वेजेज होती हैं या जो इअर्ली इनकम होती है उसमें उनका पेट भी नहीं भरता, मकान के कंस्ट्रक्शन के लिये पैसा कहां से आयेगा। इसलिये गांवों में मकान बनाने के लिये भी कोई स्कीम तैयार करनी पड़ेगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्लैनिंग कमीशन ने रूरल हाउसिंग के बारे में, आवास के बारे में कोई प्राविजन नहीं किया। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करता हूं कि जो बिल वे लाये हैं उसका तो मैं समर्थन करता हूं लेकिन कहता हूं कि जैसा बिल वह इस समय लाये हैं वैसा बिल उनको सारे देश के लिये लाना चाहिये। इस समय उनके कंट्रोल में जो स्थान हैं उन्हीं के लिये यह बिल आया है राज्यों में भी आज जो क्षेत्र इस तरह के हैं उनके लिये भी ऐसा कानून लाने की सिफारिश उनको करनी चाहिये।

Maharajkumar Vijaya Ananda (Visakhapatnam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, may I at the outset compliment the Minister for the good work that he has been doing? But the Bill, in my opinion, is not comprehensive enough and to just amend the Bill in a manner in which it has been done will not really suffice. I feel that a much more comprehensive Bill should have been brought in so that this menace of slums is dealt with strongly. This brings to my mind what our revered leader the late Panditji had said. He remarked one day that cities like Delhi, Calcutta and Kanpur were so full of slums that we will do well by taking the cue from Ahmedabad where slums were very few in number. This came from the lips of a very great man. Amongst the many great things that he has done, this was one of his innermost wishes that the slums in India should disappear. Along with other things that he had in him, he had secularism as number one and then non-alignment similar to our great Mahatma who said, truth and non-violence was his creed. It is upto us to follow the lead that he gave and I am quite sure the captain who has succeeded him will have the cooperation of everyone in carrying out the wishes of that great leader.

These slums, as you know, are a great slur on our country particularly when we find foreign visitors coming here, and when they see these slums, they go back with the impression that India is a medieval country where even the elementary things are not looked after. In the case of Delhi, there is a very fine Nursing Home and just on the side of the Nursing Home there are slums. If one looks at the slums from the Nursing Home itself and keeps the windows open, one is likely to get any infec-

also harbour criminals. I feel that a census should be taken of those who live in those miserable conditions. Their *bona fides* must be gone into. I am not suggesting that all those who live there are bad people but they do have criminals amongst them. So, I would like to suggest to the hon. Minister—I know that it is not going to be an ordinary task or an easy one for him to do—that he should take a census on an all-India basis and find out from those individuals, men, women and children, whether they have any employment, whether they belong to any offices or factories or any such thing like the mills, etc. so that you get to know the *bona fides* of those individuals and after that you can deal with them. That is why I say this Bill is not comprehensive enough.

I feel that the Government should acquire these slums and rehabilitate those persons, build small tenements for them and also charge them a minimum rent provided one is sure that the man is really employed and is working and is not a loafer in the city. In the past, slums, were not known in the villages. They were far more clean. But the slums have come to stay in big cities because factories and big companies are functioning there. So, it would be in the interest of the country also that in our future set-up we should have our factories and large concerns in other parts of the country. That will be one way of preventing the growth of slums.

In the report I found that the estimate made by Mr. Sen was in the region of Rs. 2000 crores for doing away with these slums which, I think, in view of the many urgent problems that we have in this country, might be given priority so that this is dealt with properly and at least Rs. 200 crores per year may be set aside for this purpose and ultimately in the course of ten years or so the slum menace may disappear. I would only say 'may' because it is so big and so vast a problem that it is not an easy problem to tackle. My sympathy is with the Minister who has also had a very difficult task of rehabilitating migrants from Pakistan and those who have come over to Dandakaranaya.

One of the causes for these slums is also partly due to our own fault. We have allowed the prices of various commodities to go up. The cost of living has gone up and naturally the poor people who cannot get a roof or get a khatia to sleep must naturally go on building these slums and live in such a condition that it breaks one's heart.

Mr. Deputy Speaker: Does the hon. Member require more time?

Maharajkumar Vijaya Ananda: Yes. I would like to continue tomorrow.

Mr. Deputy Speaker: He may continue tomorrow. The House stands adjourned till tomorrow.

17.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, June 3, 1964/Jyaistha 13, 1886 (Saka).

G.AGIPND—LS II—770 (Ai) LSD—15-6-64—967.